



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-31-05-2024

विषय:- "ऑपरेशन कन्विकशन" के तहत अभियुक्त मुख्तार उर्फ भोंदा को चोरी के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा 06 माह के कारावास व कुल 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-भेलूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-725/2017, धारा- 379 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त **मुख्तार उर्फ भोंदा पुत्र जहीर अहमद निवासी रेवड़ी तालाब थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी** को थाना भेलूपुर पुलिस व मॉनीटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 29.05.2024 को मा0 न्यायालय J.M-2 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त **मुख्तार उर्फ भोंदा** उपरोक्त को मु0अ0सं0- 725/2017, धारा- 379 भादवि में 06 माह के कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड न अदा करने पर 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त जोन-काशी
कमिश्नरेट-वाराणसी